कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 251 / अजिंद / 2021

भोपाल,दिनांक 17 / 04 / 2021

/ / संशोधित आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 247—248 / अजिद / 2021 भोपाल,दिनॉक12.04.2021 द्वारा जिलें में भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में दिनॉक 12.04.2021 को रात्रि 09.00 बजे से दिनॉक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है । चूँकि जिले में अभी भी स्थिति चितांजनक बनी हुई है अतः मै, **अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूॅ :—

(अ)— भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनॉक 19.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार दिनॉक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा । जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठांन बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी।

1— अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम / पालिका, पंचायत, नगर सैनिक,आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया,सी0एम0 हेल्पलाईन ,पोस्टल सेवाएँ,कार्यालयों के लेखा शाखा आदि विभागो को छोड़कर अन्य सभी विभाग बंद रहेंगे ।

उपरोक्त सभी विभाग मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 11—09 / 2020 / 1—9 भोपाल,दिनॉक 11.04.2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत खुल सकेंगे ।

2— अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन।

3— अस्पताल,नर्सिग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।

4— केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम।

5— दूध की दुकानें वितरण हेतु (प्रातः 6:00 से प्रातः 9:00 बजे तक)

6— किराना दुकानें एवं सब्जी के ठेले / वाहन सप्ताह में नियत दिवस सोमवार, बुधवार, शुकवार को केवल घर पहुँच सेवा उपलब्ध करा सकेंगे।

7— औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो / कर्मचारियों का आवागमन।

8— एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड,विद्युत प्रदाय, रसोई गैस ।

9— सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

10— परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण।

11— अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी।

12— राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु।

13— बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने—जाने वाले नागरिक।

14— अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।

15— होटल (केवल इन—रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अघोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा । रात्रि कर्फ्यू एवं अन्य समय—समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों हेतु आवागमन के समय अपना कार्यालय का फोटो परिचय पत्र साथ रखेंगे अन्यथा की स्थिति में वैघानिक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 17.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/252/अजिंद/2021 भोपाल, दिनांक 17/04/2021

प्रतिलिपि : — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।

2— अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।

3— उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।

4— आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।

5— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।

6— समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।

7— केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।

8— उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल ।

9— प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 287 / अजिंद / 2021 भोपाल,दिनांक 09 / 05 / 2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश कंमाक 265–266 / अजिद / 2021 दिनॉक 02.05.2021 के द्वारा भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनॉक 03.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार दिनॉक 10.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। जिला भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिको के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए **मै, अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये उक्त कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए दिनॉक 10.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से दिनॉक 17.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूँकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनॉक 09.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन कमांक/288/अजिद/2021 भोपाल,दिनॉक 09.05.2021

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1— आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल

2— अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।

3— उप पुलिस महानिरीक्षक,शहर रेंज, भोपाल।

4— आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।

5— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट,समस्त एसडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।

6— समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।

7— केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।

8— उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल ।

9— प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला—भोपाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 293 / अजिंद / 2021 भोपाल,दिनांक 16 / 05 / 2021

/ / आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश कंमाक 287–288 / अजिद / 2021 दिनॉक 09.05.2021 के द्वारा भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनॉक 10.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार दिनॉक 17.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कफर्यू लागू किया गया था। जिला भोपाल में कोरोना के बढ़ते संकमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिको के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए **मै, अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये उक्त कोरोना कफ्र्यू को आगे बढ़ाते हुए दिनॉक 17.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से दिनॉक 24.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कफर्यू लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूँकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनॉक 17.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2364 / री.ए.डी.ए / 2021

इन्दौर, दिनांक 16–5–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
(विषय– सम्पूर्ण इन्दौर जिले में जनता कफ्र्यु की अवधि दिनांक 29–5–2021 तक बढाये जाने बाबत)

विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक / 2306 / रीएडीएम / 2021 इन्दौर, दिनांक 8–5–2021 के द्वारा इन्दौर जिले में जनता कफ्र्यु की अवधि दिनांक 16–5–2021 तक प्रतिबंधों के साथ बढाई गई थी। जनता कफ्र्यु की यह अवधि सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु आज प्रचलित प्रतिबंधों के साथ निम्नानुसार केवल राशन / ग्रोसरी दुकानें खोलने के आंशिक संशोधन के साथ दिनांक 29–5–2021 तक बढाई जाती है–

1– राशन ग्रोसरी के थोक एवं खेरची दुकानें खोलने एवं बंद होने की व्यवस्था में कल दिनांक 17–5–2021 अर्थात सोमवार से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है–

1.1 यह कि सोमवार से शुक्रवार तक खेरची राशन / ग्रोसरी की दुकानें प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक खुल सकेगी। वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूह से यह अनुरोध है कि स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत यथासंभव इन खेरची दुकानों से घर–घर सप्लाई की व्यवस्था का प्रयास भी किया जावे।

1.2 यह कि राशन से संबंधित थोक दुकानें इन्दौर शहर में निम्नानुसार 4 स्थानों पर स्थित है–

(1) सियागंज
(2) मल्हारगंज, धानगली
(3) मालवामील क्षेत्र
(4) छावनी क्षेत्र

राशन से संबंधित उक्त थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक सशर्त खुली रह

सकेगी। राशन से संबंधित थोक दुकानें निम्नानुसार शर्तों के अधीन कार्य करेंगी–

अ– यह कि राशन थोक विक्रेता फोन पर आर्डर लेकर सप्लाई करेंगे तथा कोई भी ग्राहक दुकानों पर नहीं आएंगे।

ब– उक्त चारों क्षेत्र जहॉ पर थोक दुकानों के बीच खेरची दुकानें भी हैं, ये दुकानें भी खेरची श्रेणी की होने से उक्त तीन दिनों में जब थोक दुकानें खुली रहेंगी, प्रातः 6 से अपरान्ह 12 बजे तक फोन पर ही बुकिंग कर सप्लाई कर सकेंगी अर्थात इन खेरची दुकानों पर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार ग्राहक नहीं आ सकेंगे। अन्य दो दिन सोमवार एवं गुरूवार इन खेरची दुकानों पर प्रातः 6 बजे से 12 बजे के बीच ग्राहक आ सकेंगे।

1.3 शहर के अन्य स्थानों पर (उक्त 4 स्थानों को छोड़कर) स्थित किराना/ग्रेासरी दुकानें पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक ग्राहक आ सकेंगे किन्तु क्राईसेस मैनेजमेंट समिति से अनुरोध है कि होम डिलेवरी को बढ़ावा इन दुकानों से भी दिया जावे।

1.4 उक्त चार क्षेत्र जहॉ पर थोक राशन की दुकानें हैं, क्षेत्रीय एसडीएम पुलिस की विशेष व्यवस्था लगाएंगे ताकि इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो।

2– उद्योग, गोडाउन, ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े व्यक्ति पूर्वानुसार 24 घंटे में निर्धारित तीन समय स्लॉट के बीच ही आवाजाही कर सकेंगे।

4– सभी प्रकार के लोडिंग वाहनों को शहर में आवाजाही में छूट रहेगी।

5– विभिन्न एजेंसी जैसे– बीग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार आदि जो किराना एवं ग्रोसरी की होम डीलेवरी कर सकती है, ऐसी एजेंसी को प्रातः 6 बजे से सांय 5 बजे तक केवल किराना/ग्रोसरी की होम डीलेवरी करना प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। ये एजेंसी अपने कर्मचारी एवं सुपरवाईजर्स को फोटोयुक्त पहचान–पत्र देगी ताकि पुलिस निरीक्षण में यह अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र बतला सकें। ये सभी एजेंसी अपने होम डीलेवारी करने वाली टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट कराएगी तथा यह रिपोर्ट इन होम डीलेवरी सदस्यों के साथ रखी जावेगी।

6– शनिवार एवं रविवार को होम डीलेवरी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 16/5/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2365 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 16–5–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2306 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 08–05–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(विषय :– सम्पूर्ण इन्दौर जिले मे जनता कर्फ्यू की अवधी दिनांक 16 मई 2021 तक बढाये जाने बाबद्)

विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 के द्वारा इन्दौर नगर निगम, सीमा क्षेत्र में जनता कर्फ्यू बताये गये प्रतिबंधों के साथ दिनांक 07 मई 2021 तक प्रभावशील किया गया था। इस आदेश में उल्लेखित इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ–साथ शेष इन्दौर जिले की समस्त नगर पंचायतों, कन्टोनमेंट क्षेत्र महू तथा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जनता कर्फ्यू की यह अवधी आज दिनांक को प्रभावशील समस्त प्रतिबंधों के साथ **दिनांक 16 मई 2021 (अर्थात रविवार)** तक के लिए बढ़ाई जाती है।

आज दिनांक को प्रभावशील प्रतिबंधों के साथ–साथ इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी एवं मालिकों के लिए. अपने निवास स्थान से वर्णित उक्त तीन कार्य क्षेत्र में जाने–आने के लिए दिन के 24 घंटे में समय के तीन समय स्लॉट निर्धारित किए जाते है। यह टाईम्स स्लॉट एवं अन्य निर्देश निम्नानुसार रहेगे। यह तीन समय स्लॉट दिनांक **10 मई 2021** (सोमवार) से प्रभावशील रहेंगे :–

1. यह कि प्रातः 08.30–10.00 बजें तक **(डेढ़ घंटा)**, सायं 06.00–07.00 **(एक घंटा)** तथा रात्रि 01.00 से 2.30 **(डेढ घंटा)** इन तीन टाईम्स स्लॉट में ही उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत व्यक्ति एवं मालिक आ–जा सकेंगे। उक्त तीन स्लॉट की अवधि के अतिरिक्त इन श्रेणी के लोगों को आना जाना पाया गया तो पुलिस वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।
2. उक्त तीन श्रेणी की गतिविधियों से संबंधित संस्थान मालिक उनके यहां कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र देंगे ताकि शहर में पुलिस/मजिस्ट्रेट की जांच में यह स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति कहां पर कार्यरत है।
3. इन तीन श्रेणी के संस्थानों में पूर्व के आदेशों के तहत सूपरवाईजरी स्टॉफ 25 प्रतिशत तक कार्यरत रह सकने की शर्त आरोपित थी। संबंधित पूर्व के आदेशों के साथ यह शर्त अब विलोपित की जाती है। उक्त तीन श्रेणी के संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का शत्प्रतिशत पालन करते हुए कर्मचारियों, सूपरवाईजरी स्टॉफ को बुला सकेंगे।

4. कई फार्मा उद्योगों में दवाई निर्माण हेतु लगने वाली ऑक्सीजन गैस की पूर्ति श्री रोहन सक्सेना, कार्यपालक निर्देशक, एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा सुनिश्चित कराई जावेगी।
5. पीथमपुर, देवास उद्योगों में कार्यरत इन्दौर निवासी व्यक्ति, कंपनी की बस में अपने पूर्व निर्धारित दैनिक समय पर आ जा सकेगे अर्थात बसों के इस आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। किन्तु स्वयं के वाहनों से पीथमपुर, देवास, शहर के बाहर जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी बिन्दू क्रमांक 1 में वर्णित टाईम स्लॉट के तहत ही इन्दौर शहर के अंदर–बाहर आवाजाही कर सकेगे।
6. उद्योगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु श्री रोहन सक्सेना, कार्यपालक निर्देशक, एम.पी.आई.डी.सी को अधिकृत किया जाता है तथा वे इन समस्याओं हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, इन्दौर, आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आवश्यक सांमजस्य कर सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश **दिनांक 08/05/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र०/2307/री0ए0डी0एम0/2021
इन्दौर, दिनांक 08–05–2021

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।

11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.